रजिस्ट्री सं॰ डी॰ एल॰-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 508] नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्तूबर 20, 2006/आश्विन 28, 1928

No. 508] NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 20, 2006/ASVINA 28, 1928

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 अक्तूबर, 2006

सा.का.नि. 656(अ).—केन्द्रीय सरकार, सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य, उत्पादन, प्रदाय और वितरण का विनियमन) अधिनियम, 2003 (2003 का 34) की धारा 31 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य, उत्पादन, प्रदाय और वितरण का विनियमन) नियम, 2004 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :–

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य, उत्पादन, प्रदाय और वितरण का विनियमन) संशोधन नियम, 2006 है।

(2) ये उस तारीख को प्रवृत्त होंगे जो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में, अधिसूचना द्वारा, नियत करे।

2. सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य, उत्पादन, प्रदाय और वितरण का विनियमन) नियम, 2004 में,–

(क) नियम 2 के खंड (ग) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :–

'(क) "अप्रत्यक्ष विज्ञापन" से अभिप्रेत है–

(i) अन्य मालों, सेवाओं और आयोजनों के विपणन, अभिवृद्धि या विज्ञापन के लिए किसी तम्बाकू उत्पाद के नाम या ब्रांड का उपयोग;

(ii) किसी ब्रांड नाम या ट्रेडमार्क की सहायता से तम्बाकू उत्पादों का विपणन जिसे किसी अन्य माल और सेवा के रूप में जाना जाता है, या उपयोग किया जाता है;

(iii) किन्हीं विशिष्ट तम्बाकू उत्पादों के साथ सहबद्ध किसी विशिष्ट रंग और अभिन्यास और/या उनकी प्रस्तुति का उपयोग; और

(iv) तम्बाकू उत्पादों और धूम्रपान दृश्यों का उपयोग जब वह अन्य मालों और सेवाओं के विज्ञापन करते हैं।

(ख) नियम 4 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात् :–

'4. **सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पादों के विज्ञापन का प्रतिषेध**–(1) किसी भंडारगृह या किसी दुकान, जहां सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पादों के विक्रय के लिए प्रस्थापना की जाती है, के प्रवेश द्वार पर विज्ञापन के लिए प्रयुक्त बोर्ड का आकार साठ सेंटीमीटर × पैंतालीस सेंटीमीटर से अधिक नहीं होगा।